



न्यायालय समक्षः— सदस्य महादय १४५८ न०७८ यालियर सिविर भोपाल

(म०प्र०)

राजस्व पुनरीक्षण क्रमांक :—
प्रस्तुत दिनांक :— 29/01/2016

Ag - 469-PR-16

गुलाबसिंह आयु लगभग 69 साल, आ०
घूडनसिंह राजपूत निवासी टिमरनी
तहसील टिमरनी जिला हरदा म.प्र.

याचिकाकर्ता

बनाम

श्रीजार कीमा

निवासी ८१६

२९.१.१६ वि.

५३२।

१. पोखरसिंह उर्फ पुखराजसिंह आ. घूडनसिंह राजपूत
 २. दुर्गाबाई बेवा ओमकारसिंह राजपूत
 ३. युवराजसिंह आ. श्री ओमकार सिंह राजपूत
 सभी निवासी ग्राम नवलगांव तहसील सिवनी मालवा
 जिला होशंगाबाद म०प्र०
 ४. श्रीमति रेणुका पुत्री ओमकारसिंह राजपूत पत्नि
 दिविवजयसिंह चौहान निवासी नाला मोहल्ला इटारसी
 तहसील इटारसी जिला होशंगाबाद म०प्र०
 ५. उषाबाई वि. करतारसिंह राजपूत
 ६. आलोक पिता करतारसिंह राजपूत
 ७. लोकेश पिता करतारसिंह राजपूत
 ८. पूजा पुत्री करतारसिंह राजपूत
 कमाक ५ से ८ निवासी ग्राम बड़ियाखेड़ी
 तहसील सीहोर जिला सीहोर मप्र०
 ९. मालतीबाई पुत्री घूडनसिंह राजपूत पत्नि लखनसिंह चौहान
 निवासी बालागंज होशंगाबाद तहसील व जिला होशंगाबाद मप्र०
 १०. नर्मदाबाई पुत्री घूडनसिंह राजपूत पत्नि मदनसिंह तौमर
 निवासी ग्राम मढ़ावन तहसील बाबाई जिला होशंगाबाद मप्र०
 ११. दमाबाई पुत्री घूडनसिंह राजपूत पत्नि जगदीश सिंह चौहान
 निवासी जामखेड़ तहसील पाचौर जिला जालना महाराष्ट्र
 १२. विनोद आ. स्व० जगदीशसिंह राजपूत
 १३. प्रमोद आ. जगदीश सिंह राजपूत
 कमाक १२ व १३ निवासी ग्राम मात्रपुर पोस्ट भातपुर
 तहसील कल्मुखी जिला पूर्वी निमाड़ खण्डवा
 १४. रश्मि पुत्री स्व. जगदीशसिंह राजपूत निवासी
 ग्राम अर्चनागांव तहसील सिवनीमालवा जिला होशंगाबाद

म०प्र०

अनावेदकगण

पुनरीक्षण याचिका अंतर्गत धारा 52 म०प्र०भ००रा०संहिता ।

याचिकाकर्ता निम्न न्यायालय तहीलदार महोदय सिवनी मालवा जिला होशंगाबाद
 राजस्व प्रकरण क्रमांक ३३/०६ वर्ष १२-१३ एवं राजस्व प्रकरण क्रमांक ४३/०६
 वर्ष १२-१३ मे पारित आदेश दिनांक १६/०९/२०१३ से परिवेदित होकर यह
 पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत करता है :—

अनावेदकगण



(17)

बुलाविहंड / प्रेसवर्टिंग

XXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक. R-469-P.B.R/76. जिला होमाबांग

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अधिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
28.11.2017	<p>आवेदक की ओर से श्री प्रेम सिंह आवेदनपत्रक (संख्या ३४५६५) उनके द्वारा प्रदान नवीन पत्रों का अनुत्तराधिकार किया जाय। अनुत्तराधिकार किया जाता है। प्रकाश नवीन पवर्पत्र के बारे में इसका किया जाता है।</p> <p style="text-align: right;">अधिकारी अधिकारी</p>	<p>28-11-2017</p> <p>28/11</p>